तारीख हुक्म	विनोद बनाम रतीराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05.04.2022	पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र 22 नियम 03 व 22 नियम 04 पर सुना गया। वकील अपीलाण्ट का तर्क रहा है कि प्रकरण में अपीलाण्ट संख्या 01 विनोद का देहान्त दिनांक 20.10.2011 को एवं रैस्पो0 संख्या 03 अतर सिंह का देहान्त दिनांक 14.04.2017, रैस्पो0 संख्या 04 हरचन्दी का देहान्त 10.12.2010 एवं रैस्पो0 संख्या 05 मंगल का देहान्त 15 वर्ष पूर्व हो गया है। अतः मृतक अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 के विधिक वारिसान् को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट ने दोनों प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किये गये हैं एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। रैस्पो0 संख्या 05 तो रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पहले ही फौत हो गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो चुका है एवं शेष रैस्पो0 व अपीलाण्ट का भी देहान्त लगभग सात–आठ वर्ष पूर्व हो चुका है। अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र अबैट हो चुका है। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश के अनपढ एवं कानूनी प्रावधानो से अनभिज्ञ हैं। उन्हें नहीं पता था कि, किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर उनके विधिक वारिसान का रिकार्ड पर लेना होता है। यह है कि रैस्पो0 द्वारा भी प्रकरण में पक्षकारो के फौत होने की सूचना नहीं दी है। इसके अलावा रिव्यु/रिवीजन में कोई मियाद नहीं होती है। वैसे भी मियाद के संबंध में न्यायालय को नरम रुख अपनाना चाहिये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट संख्या 01 का देहान्त दिनांक 20.10.2011 को रैस्पो0 संख्या 03 का दिनांक 14.04.2017 को, रैस्पो0 संख्या 04 का दिनांक 10.12.2010 को एवं रैस्पो0 संख्या 15 का देहान्त 15 वर्ष पूर्व स्वयं अपीलाण्ट अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकारते हैं। अपीलाण्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.10.2017 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। परन्तु अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया है। इसके अलावा रैस्पो0 संख्या 15 तो रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही फौत हो चुका है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक रिव्यु/रिवीजन में कोई मियाद नहीं होना कथन करते हैं। परन्तु उनके द्वारा उक्त बिन्दु बावत् कोई न्यायिक दृष्टान्त का उद्धरण पेश नहीं किया है एवं ना ही कोई न्यायिक दृष्टान्त ही प्रस्तुत किये हैं। यह सही है कि उचित कारण होने पर विलम्ब को क्षमा करते हुए, प्रकरण पर सुनवाई की जा सकती है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुआ सुदीर्घ विलम्ब का कोई सारपूर्ण कारण प्रार्थी/अपीलाण्ट ने स्पष्ट नही किया है। प्रार्थी/अपीलाण्ट स्वयं का दायित्व था कि वह न्यायालय की कार्यवाही से अपने आप को सूचित रखें एवं यथा आवश्यक अपने अभिभाषक के सम्पर्क में रहें। प्रार्थी/अपीलाण्ट की स्वयं की उदासीनता के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करना न्यायिक प्रावधानों का दुरुपयोग होगा। लिहाजा हम रिव्यु प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर जरिये अबैट खारिज किया जाना उचित समझते हैं। अतः आदेश है कि रिव्यु प्रार्थना पत्र जरिये अबैट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले इजलास सुनाया गया। (अखिलेश कुमार पिंगल) भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	